[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 23rd January, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 26th January, 2018 as the date on which the provisions of section 1 and section 4 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /1 / 2018-CL.I]

(K.V.R. Murty) Dill

Joint Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिस्चना</u>

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

का.आ.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 जनवरी, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 और धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.।]

(के.वी.आर. मृति)

संयुक्त सचिव भारत सरकार